इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 8 मार्च, 2021 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
विनियामकों के कथन ----------6
आर्थिक संवेष्टन ----------8
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली----------10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -11
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 11
संस्थान समाचार ----------**11**
नयी पहलकदमी ----------16
बाजार की खबरें ----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

कोविड विघटनों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों से संबन्धित समावेशी संस्था/कंपनी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

खुदरा भुगतानों के लिए एक समावेशी (umbrella) संस्था/कंपनी के गठन हेतु निर्धारित समय-सीमा बढ़ाने के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) सहित विविध हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को संज्ञान में लेते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती 26 फरवरी, 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2021 कर दी है। यह विस्तार कोविड -19 से संबन्धित विघटनों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुये मंजूर किया गया है।

उक्त समावेशी संस्था/कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पूंजी में किसी एकल प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह का निवेश 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। हर समय न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की निवल मालियत बनाए रखी जानी होगी।

मौद्रिक नीति के लिए 2-6% का मुद्रास्फीति लक्ष्य उपयुक्त है : भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

मुद्रा (currency) और वित्त पर हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि मौद्रिक नीति के लिए 2-6% के मुद्रास्फीति लक्ष्य से संबन्धित वर्तमान अधिदेश उपयुक्त है और इसे आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

उक्त रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि चूंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ चिरस्थाई अपस्फीतिकारी स्थितियों के बावजूद अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2% पर अपरिवर्तित रखती हैं, भारत में कमतर सहनशीलता पट्टी 2% से कम नहीं होनी चाहिए। जहां तक ऊपरी सहनशीलता सीमा का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) समूह में खाद्यान्न के बड़े हिस्से वाले देशों में उच्चतर मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा अधिक व्यापक सहनशीलता पट्टी रखने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। अपेक्षाकृत लंबी नमूना अवधियों में न्यूनतम अनुमान 6% होते हैं जिसके अधिक की मुद्रास्फीति की सहनशीलता वृद्धि के लिए हानिकारक हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के विनियमन के लिए भूतपूर्व उप गवर्नर श्री एन॰ एस॰ विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। उक्त समिति भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकारणों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के बारे में किए गए उपायों का मूल्यांकन करेगी तथा पिछले पाँच वर्षों में उनके सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने मेन आने वाली मुख्य बाधाओं और समर्थकारी तत्वों की पहचान करने के उद्देश्य से उनके प्रभाव का निर्धारण करेगी। वह वर्तमान विनियामक एवं पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का भी पुनरीक्षण करेगी तथा विशेषत: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में हाल ही में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुये उक्त क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समुचित उपायों की सिफ़ारिश भी करेगी।

इस समिति से शहरी सहकारी बैंकों के त्वरित पुनर्वास एवं समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के साथ ही साथ उक्त क्षेत्र के समेकन हेतु उसकी संभाव्यता का निर्धारण

करने की अपेक्षा की जाती है। वह विभेदक विनियमनों की आवश्यकता पर भी विचार करेगी और इस बात की जांच करेगी कि क्या उनकी आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनुमेय कार्यकलापों में अधिक स्वतन्त्रता दी जा सकती है। उक्त समिति शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं भविष्यकालिक दृष्टिकोण से एक स्पंदनशील एवं आघात-सह सहयोग/सहकारिता के सिद्धांतों के साथ ही जमाकर्ताओं के हितों एवं प्रणालीगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुये एक विजन दस्तावेज़ तैयार करेगी।

यह विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट उसकी पहली बैठक की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल से अलग (Non-FATF) देशों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश करते समय अपेक्षाकृत कठोर मानदंडों का सामना करना होगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने उन देशों में प्रवर्तित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में निवेशों से संबन्धित नियमों को कठोर बना दिया है जिन्होंने धन-शोधन की रोकथाम से संबन्धित वैश्विक मानकों का पालन नहीं किया है। तदनुसार, ऐसे देशों के नए निवेशकों को किसी गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी में संभाव्य मताधिकार सहित उसके (मताधिकार के) 20% की प्रारम्भिक सीमा से कम रखना होगा। तथापि, ऐसे देशों के विद्यमान निवेशकों को निवेशों को बनाए रखने अथवा अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति होगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बड़े एक्सपोजर ढांचे से विदेशी सावरेनों के प्रति एक्सपोजर से छूट प्रदान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को बड़े एक्सपोजर ढांचे (LEF) से विदेशी राष्ट्रिकों (sovereigns) अथवा उनके केंद्रीय बैंकों के प्रति एक्सपोजर से

छूट प्रदान कर दी है। ऐसे एक्सपोजरों को अब बड़े एक्सपोजर ढांचे से छूट प्रदान कर दी गई है जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के तहत आते हैं तथा उस राष्ट्रिक (sovereign) की घरेलू मुद्रा से मूल्यवर्गित कर दिये जाते हैं और उन्हें विदेशी राष्ट्रिकों या उनके केंद्रीय बैंकों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उसी मुद्रा के संसाधनों से चुकाया जाता है।

निवासी उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन आईएफएससी को विप्रेषण कर सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अधीन भारत में गठित भारतीय वित्तीय प्रणाली कूटों (IFSCs) को विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह विप्रेषण केवल भारत में निवास करने वाली (आईएफएसएससी से बाहर वाली) संस्थाओं/कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में आईएफएससी में निवेश के लिए किये जाने चाहिए। हालांकि, वे अन्य निवासियों के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन को आईएफएससी में धारित इन विदेशी मुद्रा आस्तियों के माध्यम से नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त, निवासी व्यक्ति उदारीकृत विप्रेषण योजना के अधीन उपर्युक्त अनुमेय निवेश करने के लिए आईएफएससी में गैर-ब्याज वाहक विदेशी मुद्रा खाता ( ) भी खोल सकते हैं। उक्त खाते में प्राप्ति की तिथि से 15 दिन तक निष्क्रिय पड़ी कोई भी निधि भारत में निवेशक के घरेलू भारतीय रुपया खाते में तत्काल प्रत्यावर्तित कर दी जानी चाहिए।

विप्रेषणों की अनुमति देते समय बैंकों को इस योजना के अधीन रिपोर्टिंग के संबंध में निर्धारित आवश्यकताओं सहित अन्य सभी शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा हेतु मुख्य/मास्टर निदेश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और कार्ड जारीकर्ता कंपनियों के लिए डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक मास्टर निदेश जारी किए हैं। उक्त मास्टर निदेश में इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल भुगतानों, कार्ड भुगतानों, ग्राहक संरक्षण तथा परिवाद निवारण व्यवस्था के लिए सामान्य न्यूनतम मानकों का समावेश है। ये निदेश विनियमित संस्थाओं/कंपनियों (REs) - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर लागू होंगे। इन निदेशों में सुदृढ़ अभिशासन, इन्टरनेट और मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतानों आदि जैसे चैनलों के लिए सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों के संबंध में कुछेक न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु आवश्यकताओं का समावेश है। सुदृढ़ संलेखों से आवर्ती व्यवधानों (outages) और विघटनों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी तथा डिजिटल लेनदेनों के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए निदेशों को अद्यतन किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों (HFCs) के लिए अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) के अनुरक्षण, जोखिम प्रबंधन, आस्ति वर्गीकरण और मूल्य की तुलना में ऋण (L to V) के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले निदेशों का एक सेट जारी किया है। इन निदेशों का उद्देश्य निवेशकों एवं जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षित करना है। किसी भी आवास वित्त कंपनी को उनके लिए हानिकारक विधि से अपना कामकाज करने से रोकना है। 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली सभी आवास वित्त कंपनियों और जमा स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियों (उनका आस्ति आकार चाहे जितना भी क्यों न हो) को चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि जोखिम निगरानी साधनों का उपयोग करते हुये अंतर सीमाओं का अनुपालन तथा चलनिधि जोखिम के प्रति स्टाक दृष्टिकोण का अंगीकरण भी शामिल होगा। आवास वित्त कंपनी के बोर्ड की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

विनियामकों के कथन

कोविड प्रेरित दबाव को कम करने हेतु खरीदी गई आस्तियों से हमारा तुलनपत्र तनुकृत नहीं हुआ : गवर्नर दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह दावा किया है कि प्रणाली पर कोविड-19 से संबन्धित चलनिधि दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई आस्ति की खरीदियों से हमारा तुलनपत्र तनुकृत नहीं हुआ अथवा केंद्रीय बैंकिंग के मुख्य सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। वास्तव में, सहकारी परिणामों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सम्प्रेषण रणनीति में प्रगतिशील मार्गदर्शन को वर्धित प्रमुखता प्राप्त हुई है।

"वृद्धि के लिए नए अवसर सृजित करना" विषय पर बोलते हुये गवर्नर ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि के पुनरुत्थान की अगुवाई कर रहा है, क्योंकि कई एक संपर्क-प्रधान सेवाओं के उप-क्षेत्र वैश्विक महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुये हैं। दर कटौतियों, ऋणस्थगन एवं पुनरसंरचना सहित विविध मौद्रिक और विनियामक उपायों के साथ आकस्मिक ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ECLGS) और गौण ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSSD) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में दबाव को कम करने में सहायक होंगे तथा नए अवसर भी सृजित करेंगे।

देश में डिजिटल लेनदेन एक नई ऊंचाई पर पहुँच गया है। हमारे डिजिटल लेनदेनों की मूलभूत सुविधा को सुदृढ़ बनाते हुये उसके अनुप्रयोगों से लाभ उठाने का यही समय है।

देश के निर्यात और वृद्धि को स्थायी तौर पर बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रूप से ध्यान संकेन्द्रण का एक नीतिगत क्षेत्र है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार करार (FTAs) किया जाना। श्री दास ने इस बात पर बल देते हुये कि संभाव्य मुक्त व्यापार करारों में न केवल घरेलू शक्तियों एवं वैश्विक अवसरों, अपितु वैश्विक महामारी के उपरांत वाली अवधि में उभरने वाले भौगोलिक–राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रेक्सिट (BREXIT) के उपरांत वाला परिदृश्य हमें यू॰ के॰ और यूरोपीय देशों के साथ अलग-अलग मुक्त व्यापार करार करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की मासिक आर्थिक समीक्षा बैठक के कुछेक प्रमुख उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

- डिजिटल लेनदेन : एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेनों का कुल मूल्य साधारण रूप से घटकर जनवरी, 2021 के 4.31 लाख करोड़ के स्थान पर फरवरी, 21 में 4.25 लाख करोड़ रुपए रह गया।
- व्यापार घाटा : भारत का समग्र तिजारती आयात 40.55 बिलियन अमरीकी डालर रहा और फरवरी, 21 में व्यापार घाटा 12.88 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- मुद्रास्फीति : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर, 20 के 4.6% से घटकर जनवरी, 21 में 4.1% रही। इसके विपरीत थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति में दिसंबर, 20 में 1.2% की तुलना में जनवरी, 21 में 2% की दर से बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।
- अमरीकी डालर की दर में उतार-चढ़ाव : इक्विटियों में डुबकी तथा भारतीय बाज़ारों में 0.8 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की औने-पौने दाम पर तीव्र बिक्री के कारण 26 फरवरी, 21 को रुपये में 0.75% की गिरावट आई।
- खुले बाजार के परिचालन (OMO) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 20,000 रुपए की एक खुले बाजार के परिचालन वाली खरीद नीलामी तथा वित्तीय स्थितियों को सहज बनाने के लिए फरवरी, 21 में एक विशेष खुले बाजार के परिचालन (परिचालन ऐंठ/) का आयोजन किया।
- सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) के प्रतिफल में कमी : 26 फरवरी, 21 को भारत की 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल 29 जनवरी, 21 के 5.96% की तुलना में 6.34% के स्तर पर पहुँच गया। घरेलू बाज़ारों में धीमी सहभागिता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से साधारण प्रवाहों के बीच 10 वर्षीय एएए कारपोरेट बांड का कीमत-लागत अंतर (BPs) भी जनवरी, 21 के 74 आधार अंकों से बढ़कर फरवरी, 21 में 83 आधार अंक हो गया।

- भारतीय कंपनियों/कार्पोरेटों द्वारा ऋण जारी किया जाना : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के आंकड़ों के अनुसार यह तीसरी तिमाही - फरवरी, 21 में बढ़कर 1,31,116 करोड़ रुपए हो गया जो वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही कीतुलना में 29% की वृद्धि दर्शाता है। इन निर्गमों में व्यापक तौर पर एएए श्रेणी-निर्धारित वित्त कंपनियों की प्रधानता रही। जमा प्रमाणपत्रों (CDs) का निर्गमन वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही के 6,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,400 करोड़ रुपए के रूप में दोगुना हो गया। वाणिज्यिक पत्रों (CPs) के निर्गमन में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति बनी रही, जिससे तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में सुधार का पता चलता है।
- माल एवं सेवा कर (GST) वसूली : माल एवं सेवा कर राजस्व में फरवरी, 21 में 1.13 लाख करोड़ रूपये की वसूली के साथ उसके संवेग में स्थिरता परिलक्षित हुई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 फरवरी, 2021 के दिन बिलियन रुपए	26 फरवरी, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4294511	584554
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3986598	542615
(ख) सोना	260239	35421
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11145	1,517
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	36529	5001

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	0.21500	0.25800	0.43700	0.64700	0.86800
जीबीपी	0.10050	0.2483	0.379	0.5007	0.6075
यूरो	-0.49000	-0.467	-0.420	-0.359	**-0.291**
जापानी येन	-0.03130	-0.018	-0.003	-0.015	-0.041
कनाडाई डालर	0.62000	0.675	0.923	1.184	1.400
आस्ट्रेलियाई डालर	0.14500	0.220	0.373	0.652	0.919
स्विस फ्रैंक	-0.65500	-0.623	-0.548	-0.493	-0.343
डैनिश क्रोन	-0.10580	-0.0965	-0.0731	-0.0210	-0.0350
न्यूजीलैंड डालर	0.35000	0.498	0.738	0.985	1.238
स्वीडिश क्रोन	-0.02600	0.040	0.147	0.259	0.377
सिंगापुर डालर	0.36500	0.465	0.650	**0.840**	1.023
हांगकांग डालर	0.28790	0.351	0.516	0.722	0.924
म्यामार	1.98000	2.110	2.280	2.420	2.555

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के अधीन नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को प्रत्येक वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी भी अनुमेय चालू अथवा पूंजीगत खाते अथवा दोनों के संयोजन वाले लेनदेन के लिए 2,50,000 अमरीकी डालर तक विप्रेषण करने की अनुमति होती है। उक्त योजना 25,000 अमरीकी डालर की एक सीमा के साथ 4 फरवरी, 2004 को आरंभ की गई थी। यह सीमा विद्यमान स्थूल एवं सूक्ष्म आर्थिक स्थितियों के साथ संशोधित की गई है। उक्त योजना कंपनियों/कार्पोरेटों, भागीदारी फार्मों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR)

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बैंक उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों (HQLAs) का ऐसा पर्याप्त स्तर बनाए रखे जो गंभीर चलनिधि दबाव वाले परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस की अवधि/ के समय संस्तर तक की चलनिधि जरूरतों को पूरा कर सके। इसकी गणना अगले 30 कैलेंडर दिवसों में उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियों के स्टाक/ कुल निवल नकदी बहिर्वाह >_ 100% के रूप में की जाती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक	15 से 17 मार्च, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रिमों का मूल्यांकन एवं उनकी पुनरसंरचना	15 से 16 मार्च, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	23 से 25 मार्च, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	19 से 21 मार्च, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छः चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं,

उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

मई, 2021 से आरंभ होने वाले 10वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैच की शुरूआत

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए एक व्यापक प्रबंधन पाठ्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के आनलाइन होने के कारण देशभर के अभ्यर्थी इसमें सप्ताह के अंत में घर बैठे भाग ले सकते हैं। सम्पूर्ण देश के प्रतिष्ठित संकाय सदस्य और उद्योग विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे। उक्त बैच के प्रारम्भ होने की अस्थायी तिथि 22 मई, 2021 है तथा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 मई, 2021 है। उपलब्ध सीटों की सख्या 50 है और वह पहले आए पहले पाये आधार पर उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक http:/iibf.org.in//postExamCCO2017.asp?ccono=79 देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयंती शोध फ़ेलोशिप के लिए प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान भारत और विदेशों में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में हुई अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने हेतु हीरक जयंती बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है। शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf. Org. in. देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। 8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित की गईं। परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाटी हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जात है। इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत
जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों
(credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक ऐसा पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और

चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था। इस पारस्परिक मान्यता करार को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के जनवरी –मार्च, 2021 अंक के लिए विषय-वस्तु है: जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं

से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा

जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

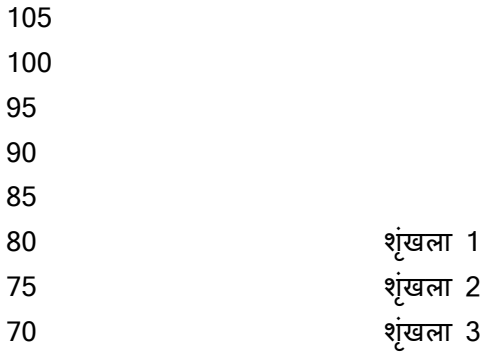

65 शृंखला 4
60

सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021, फरवरी, 2021
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

6.5
6
5.5
5

अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2021

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

51000.00
49000.00
47000.00
45000.00
43000.00
41000.00
39000.00
37000.00

सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021, फरवरी, 2021
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5
अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड फरवरी, 2021

भारित औसत मांग दरें

3.4
3.35
3.3
3.25
3.2
3.15
3.1

सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021, फरवरी, 2021
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज लेटर फरवरी, 2021

बैंक ऋण वृद्धि %

6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक
अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020, जनवरी, 2021

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन मार्च, 2021